संख्या : 10/2026/बी-1-1301/दस-2007-101/2007

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 19 मई, 2026

विषय:- पूंजीगत परिव्यय के लिए स्वीकृत व कोषागार से आहरण के पश्चात शेष बची धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

बजट के पूंजीगत लेखे से स्वीकृत धनराशि का वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्णत: या आंशिक रूप से व्यय न होने के फलस्वरूप हुई बचत को प्राप्ति शीर्ष में जमा किये जाने हेतु उपयुक्त लेखावर्गीकरण विद्यमान नहीं हैं जिसके कारण विभागों को ऐसी धनराशियों को जमा करने तथा कोषागार एवं महालेखाकार स्तर पर ऐसी प्राप्तियों को लेखे में दर्ज करने में कठिनाई होती है। महालेखा नियत्रंक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखाशीर्षों की सूची के प्रस्तर-4.3 में पूंजीगत लेखे से स्वीकृत तथा आहरित धनराशि की शेष बची धनराशि की प्राप्तियों के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था निर्धारित हैं-

''यथावश्यक घटाएं-पूंजीगत लेखे में प्राप्तियॉ तथा वसूलियॉ विभिन्न पूंजीगत मुख्य/उपमुख्य शीर्षों जिनसे व्यय का प्रारम्भ में वहन किया गया था, के अधीन संगत लघु शीर्षो के नीचे उपशीर्ष के रूप में खोला जाय। यदि पूंजीगत लेखों में ऐसी प्राप्तियां तथा वसुलियां किसी कार्यक्रम लघु शीर्ष के साथ अभी निर्धारण नहीं हैं, तो उसका समायोजन सम्बन्धित मुख्य/उप मुख्य शीर्ष के अधीन अन्य व्यय (कोड 800) के अधीन उप शीर्षो के रूप में किया जाना चाहिए'' ।

2- उक्त के आलोक में पूंजीगत परिव्यय के लिए स्वीकृत व कोषागार से आहरण के पश्चात शेष बची धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- बी-1-2598 /दस-2007-101/2007, दिनांक 10 जुलाई, 2007 निर्गत किया गया है।

3- उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनांक 2007 में पूंजीगत परिव्यय के लिए स्वीकृत व कोषागार से आहरण के पश्चात शेष बची धनराशि को जमा किये जाने हेतु उप शीर्ष ''99-वापसियां'' तक ही लेखाशीर्ष इंगित किया गया है। इस व्यवस्था में विस्तृत शीर्ष एवं मानक मद का उल्लेख न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि प्रश्नगत धनराशि किस योजना से सम्बन्धित है तथा मानक मद इंगित न होने के कारण सम्बन्धित अनुदान का मानक मदवार व्यय का विवरण तैयार किये जाने में समस्या आ रही है ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2007 को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत, पूंजीगत लेखे (मुख्य लेखाशीर्ष 4000 से 5999 तक) से स्वीकृत व कोषागार से आहरण के उपरान्त अवशेष धनराशि, जिसकी योजना के लिए आवश्यकता नहीं है, को सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत पूंजीगत परिव्यय के लिए स्वीकृत धनराशि के मुख्य शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष के अन्तर्गत उप शीर्ष ''99-वापसियां'' के नीचे, योजना के विद्यमान उप शीर्ष तथा विस्तृत शीर्ष, यदि उपलब्ध है तो, करते हुये योजना से सम्बन्धित मानद मद भी निम्नवत् अंकित किया जायः-

(1) जिन लेखाशीर्षो में योजना का विवरण विस्तृत शीर्ष तक अंकित है, ऐसी योजनाओं की पूंजीगत पक्ष की अवशेष धनराशि की वापसी उप शीर्ष ''99-वापसियां'' के अधीन विस्तृत शीर्ष स्तर पर योजना के उपशीर्ष के साथ विस्तृत शीर्ष पर अंकित योजना के घटक को भी अंकित कर योजना से सम्बन्धित मानक मद भी अंकित किये जायें। उदाहरणस्वरूप यदि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के निम्नलिखित लेखाशीर्ष-

मुख्य शीर्ष	4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष	02- मल-जल तथा सफाई
लघु शीर्ष	101- शहरी सफाई सेवाएं
उप शीर्ष	03- त्वरित आर्थिक विकास योजना
विस्तृत शीर्ष	01- जल निकासी कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था
मानक मद	24- वृहत् निर्माण कार्य

से धनराशि स्वीकृत व आहरित कि गई है तथा इसका पूर्णत: अथवा आंशिक उपयोग न होने के कारण अवशेष धनराशि राजकोष में जमा की जाती है, तो उक्त धनराशि को चालान द्वारा राजकोष में अनुदान संख्या 40- नियोजन विभाग में चालान के माध्यम से जमा की जानी चाहिए-

<u>अनुदान संख्या-40</u>

मुख्य शीर्ष	4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष	02- मल-जल तथा सफाई
लघु शीर्ष	101- शहरी सफाई सेवाएं
उप शीर्ष	99- वापसियां
विस्तृत शीर्ष	01- त्वरित आर्थिक विकास योजना-जल निकासी कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था
मानक मद	24- वृहत् निर्माण कार्य

<u>अनुदान संख्या-40</u>

4	2	1	5	0	2	1	0	1	9	9	0	1	2	4

(2) जिन लेखाशीर्षो में योजना का विवरण उप शीर्ष पर तथा विस्तृत शीर्ष पर ''00'' अंकित है, तो ऐसी पूंजीगत पक्ष की योजनाओं की अवशेष धनराशि की वापसी उप शीर्ष ''99-वापसियां'' के अधीन विस्तृत शीर्ष स्तर पर योजना के उपशीर्ष पर अंकित योजना तथा उससे सम्बन्धित मानक मद अंकित की जाय। उदाहरणस्वरूप यदि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के निम्नलिखित लेखाशीर्ष-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

मुख्य शीर्ष 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य शहरी विकास योजनायें
लघु शीर्ष 051- निर्माण
उप शीर्ष 03- पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था
मानक मद 24- वृहत् निर्माण कार्य

से धनराशि स्वीकृत व आहरित कि गई है तथा इसका पूर्णत: अथवा आंशिक उपयोग न होने के कारण अवशेष धनराशि राजकोष में जमा की जाती है, तो उक्त धनराशि को चालान द्वारा राजकोष में अनुदान संख्या 40- नियोजन विभाग में निम्न लेखाशीर्ष में जमा की जानी चाहिए-

अनुदान संख्या-40

मुख्य शीर्ष 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य शहरी विकास योजनायें
लघु शीर्ष 051- निर्माण
उप शीर्ष 99- वापसियां
विस्तृत शीर्ष 03- पूंजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था
मानक मद 24- वृहत् निर्माण कार्य

अनुदान संख्या-40

4	2	1	7	6	0	0	5	1	9	9	0	3	2	4

उपर्युक्त दोनों लेखा वर्गीकरण उदाहरणस्वरूप हैं। इसी प्रकार अन्य पूंजीगत लेखाशीर्षों में भी चालान पर अन्य प्रविष्टियों के साथ-साथ अनुदान संख्या का उल्लेख करते हुए मुख्य / उपमुख्य / लघु शीर्ष के अन्तर्गत उप शीर्ष ''99-वापसियां'' के अन्तर्गत यथावश्यकता बचत की धनराशि जमा की जाय।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त धनराशि को जमा करते समय सम्बन्धित कार्यालयों / विभागों / कोषागारों द्वारा निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय-

(1) ट्रेजरी चालान फार्म में अन्य प्रविष्टियों के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का उल्लेख लेखाशीर्ष के ठीक ऊपर अवश्य किया जाय।

(2) कोषागार द्वारा पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत जमा चालानों की एक प्रति प्राप्तियों की अनुसूची के साथ मासिक लेखों के साथ महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को भेजी जाय।

भवदीय,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या : 9/2026/बी-1-1301(1)/दस-2007-101/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि पूंजीगत लेखे की जमा धनराशि को सम्बन्धित अनुदान के भाग-4 (उन वसूलियों के ब्यौरे जिन्हें लेखे में व्यय में घटा दिया गया है) में प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 9/2026/बी-1-1301(2)/दस-2007-101/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि,निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्तानुसार पूंजीगत परिव्यय के लिए स्वीकृत व कोषागार से आहरण के पश्चात शेष बची धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध में कोषागार साफ्टवेयर में तदनुसार आवश्यक व्यवस्था कराये जाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या : 10/2026/बी-1-1301(3)/दस-2007-101/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
6- कार्यालयों/ विभागों में कार्यरत समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / लेखाधिकारी।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।